न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 02/2020

निर्णय दिनांकः 31.03.2020

on line no. 2020/00037

श्रीमती सोनी पत्नि नारायणराम जाति बावरी निवासी बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. खुमीदेवी पत्नि स्व. ज्ञानाराम
3. खिराजराम पुत्र स्व. ज्ञानाराम
4. पोकरराम पुत्र स्व. ज्ञानाराम
5. बाधु पुत्र स्व. ज्ञानाराम
6. बीरबल पुत्र स्व. ज्ञानाराम
7. भानीराम पुत्र स्व. ज्ञानाराम
8. रामेश्वरी पुत्री स्व. ज्ञानाराम
9. विमला पुत्री स्व. ज्ञानाराम
10. सरला पुत्री स्व. ज्ञानाराम
11. सोहनी पुत्री स्व. ज्ञानाराम

जातियान नायक निवासी बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अपीलान्ट
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

यह अपील श्रीमती सोनी देवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेद किया है कि ग्राम रोही बोपउ के खेत खसरा नंबर 1023/615 रकबा 2.2722 हैक्टेयर का खातेदार ज्ञानाराम पुत्र मानाराम जाति नायक निवासी बापेउ था। खातेदार ज्ञानाराम ने अपीलाधीन रकबा खेत खसरा नंबर 1023/615 दिनांक 11.02.2016 को अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र के विक्रय कर कब्जा क्रेता (अपीलान्ट) को सौंप दिया था। अपीलान्ट अनपढ महिला है एवं विक्रय—पत्र कि प्रति अपने घर ले जाकर रख दी व पटवारी हल्का को विक्रय—पत्र कि प्रति पंजियन कार्यालय से भिजवाई जाती है। फिर भी पटवारी हल्का ने नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किया। तत्पश्चात विक्रेता ज्ञानाराम का देहान्त हो गया एवं उसके वारिसानों को विक्रय—पत्र की जानकारी होते हुए अमला माल से मिलीभगत करके अपीलाधीन रकबा का विरासतन ईन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त समस्त कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा वरती गई लापरवाही से उत्पन्न हुई। उसी क्रम में ग्राम पंचायत बापेउ द्वारा बिना कोई जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील श्रीमानजी के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद निम्न आधारों पर पेश की जा रही है किः— जैर अपील ईन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, रूएदाद मिसल, बिना कोई जांच किये पारित किया गया होने से काविले खारीज है। यह है कि जैर अपील रकबा रोही ग्राम बापेउ के खेत खसरा नंबर 1023/615 रकबा 2.2722 हैक्टेयर खातेदार ज्ञानाराम पुत्र मानाराम जाति नायक निवासी बापेउ के नाम से दर्ज था। खातेदार ज्ञानाराम ने अपनी खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खेत खसरा नंबर 1023/615 को दिनांक 11.02.2016 को जरिये पंजिकृत विक्रय–पत्र के अपीलान्ट को विक्रय कर उसी दिनांक को कब्जा सौंप दिया था कब्जा काश्त खरीद दिनांक से लेकर आज दिनांक तक अपीलान्ट का ही चला आ रहा है। परन्तु अपीलान्ट अनपढ एवं औरत जात होने के कारण अज्ञानता वश पटवारी हल्का से संपर्क नहीं कर पाई एवं पटवारी हल्का को विक्रय–पत्र कि प्रतिलिपि पंजियन विभाग से भेजे जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट के पक्ष में ईन्तकाल दर्ज नही किया तथा विक्रेता ज्ञानाराम का देहान्त हो गया एवं उसके वारिशानों ने अमला माल से मिलीभगत कर विरासतन ईन्तकाल भरवाकर ग्राम पंचायत बापेउ के समक्ष पेश किया तो ग्राम पंचायत को विक्रय–पत्र की जानकारी होते हुए एक तरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सुचना दिये रिकार्ड की प्रत्यक्ष त्रुटी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो साम्य न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने से काबिले खारिज है। यह है कि विक्रय–पत्र दिनांक 11.02.2016 कि जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 को शुरू से ही थी फिर भी रेस्पोडेन्टान ने विक्रेता ज्ञानाराम की मृत्यु उपरान्त विक्रय–पत्र को नजरदांज करते हुए पटवारी हल्का से मिलीभगत करके इन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 विरास्तन अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसे ग्राम पंचायत बापेउ द्वारा बिना कोई जांच किये पारित किया गया होने से काबिले खारीज है। यह है कि जैर अपील आदेश कि प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट ने दिनांक 14.02.2020 को किसान केडिट कार्ड बनावाने हेतु अपने खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 1023/615 की नकल पटवारी हल्का से लेनी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम से खातेदारी में कोई जमीन नहीं हैं तत्पश्चात अपीलाधिन रकबा के राजस्व रिकार्ड कि नकल निकलवाई गई तो पता चला कि ईन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा रेस्पोडेन्ट ने विरास्तन अपीलाधीन रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया है। यह है कि दिनांक 19.02.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। जो स्वीकार योग्य है। जानबुझकर देरी से अपील पेश करने की दोषी अपीलान्ट नहीं है। इसलिए अपील में मियाद कण्डोन कि जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार फरमाई जावे। अनुमति हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार ग्राम रोही बापेउ तहसील श्रीडूंगरगढ़ की होने से सुनवाई किये जाने योग्य है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। यह है कि अन्य तथ्य बजुवात तलब होने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वरवक्त बहस बर्ज किये जायेगे।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बापेउ ओदश दिनांक 20.07.2018 ईन्तकाल संख्या 868 का ईन्तकाल रजिस्टर तलब किया जाकर वाद सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश ईन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम रोही ग्राम बापेउ के खेत खसरा नंबर 1023/615 रकबा 20.2722 हैक्टेयर का ईन्तकाल दर्ज करने का आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के नाम प्रदान करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामिल रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 11 अनुपस्थित होने पर दिनांक 19.10.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के विरूद्ध भी दिनांक 06.11.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 12 की और से पैरोकारराज ने जवाब अपील पेश किया । बहस सुनी गई। पत्रावली का सविनय अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मीमों में वर्णित तथ्यों से अवगत करवाकर रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 11 के नाम गलत रूप से विरासतन दर्ज इन्तकाल नम्बर 868 को निरस्त करनें व विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2016 के आधार पर अपीलान्ट के नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

इन्तकाल दर्ज करनें के आदेश करने का निवेदन किया। यह तथ्य व दस्तावेज पत्रावली में मौजूद है ,खेत खसरा नम्बर 1023/615 तादादी 2.2722 हैक्टेयर भूमि ग्राम बापेऊ की खातेदारी ज्ञानाराम पुत्र मानाराम नायक के नाम से दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2016 की प्रमाणित प्रति में यह स्पष्ट है कि खातेदार ज्ञानाराम ने वादगत खसरा भूमि का विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के नाम निष्पादित करवाया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2020 में यह बताया गया है कि अपीलान्ट सोना देवी ने वादगत खसरा भूमि को खरीद के समय से कब्जे में लिया है और उनका ही कब्जा काश्त है। रेस्पोन्टडस संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब में खरीद के समय से वादगत खसरा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना व विक्रय पत्र अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करनें के आदेश पर कोई आपति नही होना जाहिर किया है। सम्पति हस्तान्तरण के दस्तावेज की प्रति उपपंजीयंक अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यालय/कार्मिक को अमल दरामद हेतु भिजवाने का कानूनी प्रावधान है, अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करनें का दयित्व रेस्पोडेन्टस संख्या 12 का था। परन्तु उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही का इन्तकाल दर्ज नही किया गया। प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 868 रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा विरासतन ज्ञानाराम के वारिसान के नाम रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 11 के नाम दर्ज किया गया है जबकि ज्ञानाराम ने अपने जीवनकाल में वादगत खसरा भूमि अपीलान्ट को विक्रय कर दी। इस प्रकार रेस्पोन्डेटस संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्टेस संख्या 2 ता 11 के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 1023/615 तादादी 2.2722 हैक्टेयर ग्राम बापेऊ के संबंध में इन्तकाल संख्या 868 दिनांक 20.07.2018 को निरस्त किया जाता है । आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ को भेजकर आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(विक्रम)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़